

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज

अभिलेख संख्या - 251/16-17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

12/5/2016

श्री. सात बजीला देवी पिता खीशी राना

ग्राम खणमुप अंचल देवरी जिला

गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री लखन मोंदी


पिता खेनी मोंदी ग्राम पण्डेयरी


अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 937 दिनांक 09-03-87 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
<u>अन्डार</u>	<u>250</u>	<u>28</u>	<u>58</u>	<u>450</u>

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 29.5.16 को उपस्थापित करें।
 तत्कालीन अंचल अधिकारी का अभिलेख दिनांक 29.5.16 को उपस्थापित करें।
 अंचल अधिकारी के आदेश पर पंजी 27 पर 5-5/15 अभिलेख दिनांक 29.5.16 को उपस्थापित करें।


 अंचल अधिकारी,
 देवरी।


 अंचल अधिकारी,
 देवरी।

29/5/2016

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नही दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास/ रेयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी II के भेलूम संख्या II के पृष्ठ संख्या 15 पर विक्रेता लेखी मीठी के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एंव सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एंव अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति कजीरवा डेवी पिता/पति खोशी राना ग्राम राजपुरा के नाम पर किया जाता है।

ग्राम	थाना न0	प्लॉट न0	रकबा	माल
बन्दगाँव	250	58	430	12 पैसा

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एंव संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

Handwritten signature and notes on the right margin.